

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ**विविध वाद संख्या-3/2002****बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी) अन्तर्गत**

1. श्री छोट राय मूर्म, पिता-छोटका मूर्म
2. श्री हुप्पा मूर्म, पिता-छोटका मूर्म
3. श्री भुचिया मूर्म, पिता-छोटका मूर्म
4. श्री दासो मूर्म, पिता-छोटका मूर्म

साकिन-रसाढ़, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ.....

आवेदक

बनाम

श्री लड्डू कामती, पिता-स्व० वौकू कामती, साकिन-काझा हृदयनगर, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ.....

खरीददार

आदेश



यह विविध अनुमति वाद आवेदकगण द्वारा मौजा-काझी हृदयनगर, थाना-बनमनखी, थाना नं०-52, जमाबन्दी नं०-468, खाता नं०-468, खेसरा नं०-94, रकवा-0.41½ डिसिमिल बेचकर रसाढ़ मौजा की जमीन खरीद करने हेतु बिक्री करने के अनुमति हेतु दायर किया गया है।

आवेदकगण का कथन है कि प्रश्नगत जमीन आवेदकगण का मरोसी जमीन है, जो पिताजी के नाम से है, जिनका मृत्यु हो चुका है। प्रश्नगत जमीन काझी हृदयनगर मौजा में पड़ता है, जो आवेदक के घर से दूर है। उक्त जमीन बिक्री कर दूसरी जमीन रसाढ़ मौजा में खरीदना चाहता है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, बनमनखी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, बनमनखी ने अपने पत्रांक 1318, दिनांक 23.08.2007 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि वस्तुस्थिति की जाँच हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से करायी गयी, जिससे मैं सहमत हूँ। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

आवेदकगण एवं उनके पिता के नाम जमीन

क्रमांक	जमाबन्दी रैयत का नाम	मौजा/थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	छोट राय मूर्म, हुप्पा मूर्म, भुचिया मूर्म, दासो मूर्म, पिता-छोटका मूर्म	काझी हृदयनगर 52	468	94	0.41½	20
2	छोटा मांझी, पिता-लोधिया मांझी	रसाढ़ 54	59	2219 2236 2200 2211	9.14	2000
					9.59 ½	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित			
1	2	3			
बिक्री सुदा जमीन का विवरण					
क्रमांक	जमाबन्दी रैयत का नाम	मौजा/थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
1	2	3	4	5	6
1	छोट राय मूर्म, हुप्पा मूर्म, भुचिया मूर्म, दासो मूर्म, पिता-छोटका मूर्म	काड़ी हृदयनगर 52	468	94	0.41½
बिक्री के पश्चात अवशेष जमीन का विवरण					
1	छोटा मांझी, पिता-लोधिया मांझी	रसाढ़ 54	59	2219 2236 2200 2211	9.14
<p>आवेदन के घर से बिक्री की जानेवाली जमीन दूर है, जिसे बेचकर अपने घर के बगल में जमीन खरीदना चाहते हैं। वर्तमान में प्रतिवेदित जमीन पर आवेदकगण दखलकार हैं तथा जमाबन्दी दर्ज हैं।</p> <p>वर्तमान में आवेदक छोट राय मूर्म का निधन हो चुका है। इसलिये अपनी पत्नी मो० सावित्री देवी के नाम बिक्री करने की अनुमति हेतु आवेदन दिया है।</p> <p>अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदकगण को अपनी जमीन के बदले दूसरी जमीन कय करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>					
 समाहर्ता, पूर्णिया			 समाहर्ता, पूर्णिया		